भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1561
11 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

1561. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाली खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2017 से अब तक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा (पीएमकेएस) योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाली उन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है, जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित नहीं हैं;

(घ) पीएमकेएस योजना के अंतर्गत अनुदान संवितरण प्राप्त करने वाली उन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है जिन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है; और

(ङ) मंत्रालय पीएमकेएसवाई के तहत संवितरित अप्रयुक्त अनुदान-राशि की वसूली किस प्रकार करता है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): मंत्रालय ने आज की तारीख तक 133 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) को अनुदान सहायता का अनुमोदन दिया है ।

(ख): खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कुल 52.13 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है ।

(ग): उक्त योजना के अंतर्गत जिन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुदान – सहायता दी गई है उनमें से 26 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से प्रत्यायन प्राप्त नहीं है ।

(घ): जिन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संवितरित अनुदान प्राप्त किया है उनमें से 38 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा अधिसूचित नहीं हैं ।

(ङ.): मंत्रालय, सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए परियोजना को समाप्त करने की कार्रवाई द्वारा पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संवितरित अप्रयुक्त अनुदान की वसूली करता है । इसके अलावा, मंत्रालय धनराशि की वसूली करने के लिए विधिक कार्य विभाग के परामर्श से दिवानी मुकदमा दायर करते हुए विधिक कार्रवाई का उपाय करता है ।

******